दैनिक नवज्योति

जयपुर, गुरुवार, 3 अगस्त, 2017

जीएसटी कानून के बारे में दी जानकारी

न्यूज सर्विस/नवज्योति, झुंझुनूं

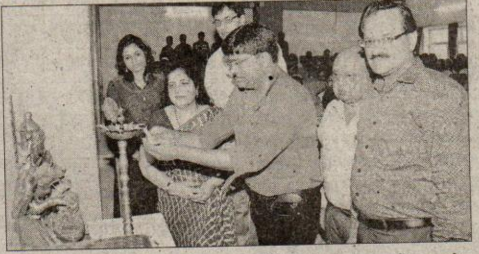

शहर के निकटवर्ती ग्राम चूड़ेला स्थित जगदीश प्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय में राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर बुधवार की प्रातः केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी कानून पर सेमीनार का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता सहायक आयुक्त उमेश जालान ने कहा कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं ऑनलाइन ही कर सकते है। उन्होंने उपस्थित व्यापारियों व पीएचडी स्कॉलर्स द्वारा जीएसटी के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब देकर जीएसटी कानून के बारे में बारिकी से जानकारी दी और कहा कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से आयात निर्यात पर भी जीएसटी के बारे में बताया। इस अवसर पर वक्ता सीए पवन केडिया ने जीएसटी कानून और इससे पहले की कर प्रणाली में अंतर बताते हुए विभिन्न व्यवसायों व दिनचर्या में काम आने वाली अनेक वस्तुओं व उपभोग करने वाले संसाधनों पर जीएसटी को प्रभावित करने वाले बिन्दु विस्तार से बताये। इसके अलावा जयपुर से आये सीए राकेश सोनी ने आरसीएम व वैलरी पर जीएसटी कानून की स्थिति को अपने तरीके से बताया और सरकार द्वारा लगाये गये इस टैक्स के बारे में काफी सराहनीय उद्‌बोधन दिया। इस अवसर पर सीए अभिषेक व सीए अर्पित मित्तल व सीएम रवि मोरोलिया ने भी जीएसटी कानून के बारे में जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि के रुप में व्यवसायी आत्माराम टीबड़ेवाला, वैलर्स शिवकरण जानू भी उपस्थित थे। सभी अतिथियों का कार्यक्रम संयोजक डॉ. मधु गुप्ता, डॉ. शशि मोरोलिया व पीआरओ रामनिवास सोनी ने दुपट्टा व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन तपेन्द्र सिंह शेखावत ने किया। इस अवसर पर व्यापारिकगण टैक्स बार के सदस्य एवं पीएचडी स्कॉलर तथा विश्वविद्यालय स्टॉफ मौजूद रहे।